समय सीमा समीक्षा बैठक दिनांक18.09.2017 का कार्यवाही विवरण।

आज दिनांक 18.09.2017 को समय सीमा बैठक कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अपर कलेक्टर द्वय, नगरीय एस.डी.एम. एवं विभाग जिला प्रमुख उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थित हों । कुछ अधिकारी अन्य शासकीय कार्यों का हवाला देकर समीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहते हैं जो कि उचित नहीं है । समय सीमा की समीक्षा को प्राथमिकता दी जावे ।

1. **समाधान ऑनलाईन** :– आगामी समाधान ऑनलाइन 03 अक्टूबर प्रथम मंगलवार को है । उक्त ऐजेण्डा में निम्नानुसार पुनः बिन्दुवार चर्चा की गई –

एक–खाद्य विभागः– खाद्य विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित विषय नवीन गैस कनेक्शन से संबंधित है । सी.एम. हेल्प लाइन में उक्त विषय में जिले की कुल शिकायतें, संतुष्टि पूर्वक बंद, स्पेशल क्लोज्ड, आंशिक बंद तथा शेष लंबित शिकायतों का निराकरण एवं स्पेशल क्लोज्ड, आंशिक बंद शिकायतो को रिव्यू करने के निर्देश खाद्य नियंत्रक को दिये गये ।

दो–धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभागः– धर्मस्व न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित विषय मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से संबंधित है । सी.एम. हेल्प लाइन में उक्त विषय में जिले की कुल शिकायतें, संतुष्टि पूर्वक बंद, स्पेशल क्लोज्ड, आंशिक बंद तथा शेष लंबित शिकायतों का निराकरण एवं स्पेशल क्लोज्ड, आंशिक बंद शिकायतो को रिव्यू करने के निर्देश प्रभारी अधिकारी को दिये गये । योजना के तहत तीर्थयात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए त्रुटि हीन व्यवस्था की जाये । इस संबंध में शिकायतों के निराकरण में पूरी गंभीरता बरती जाये ।

तीन–राजस्व विभागः– राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित विषय भू–अर्जन मुआवजे से संबंधित है । सी.एम. हेल्प लाइन में उक्त विषय में जिले की कुल 200 शिकायतें, हैं जो बहुत ज्यादा है । अनुभागवार सूचीबद्ध कर समीक्षा की जाये । तदानुसार शीघ्र निराकरण करने के निर्देश प्रभारी अधिकारी एवं अपर कलेक्टर को दिये गये ।

चार–सामान्य प्रशासन विभागः– सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित विषय जाति प्रमाण पत्र जारी न होने /जारी होने में विलम्ब होने से संबंधित है । सी.एम. हेल्प लाइन में उक्त विषय में जिले की कुल शिकायतें, संतुष्टि पूर्वक बंद, स्पेशल क्लोज्ड, आंशिक बंद तथा

शेष लंबित शिकायतों का निराकरण एवं स्पेशल क्लोज्ड, आंशिक बंद शिकायतो को रिव्यू करने के निर्देश प्रभारी अधिकारी एवं अपर कलेक्टर को दिये गये । जाति प्रमाण पत्र के संबंध में लोक सेवा केन्द्र के सभी प्रबंधकों के साथ एक बैठक लेकर समीक्षा करने के निर्देश श्री छोटे सिंह अपर कलेक्टर को दिये गये । सभी एस. डी. एम. को हिदायत दी गई कि वे जाति प्रमाण पत्रों के आवेदनों को एक लाइन से निरस्त न करें बल्कि तथ्यात्मक कारण भी दर्शायें । जाति प्रमाण पत्र संबंधी शिकायतों का पुनरीक्षण कर निराकरण के लिए सभी एस. डी. एम. को निर्देशित किया जाकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।

पाँच–महिला एवं बाल विकास विभागः– महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित विषय आंगनबाड़ी केन्द्र नियमित संचालित न होने/समय पर न खुलने/लम्बे समय से अनुपस्थित रहने से संबंधित है (एकीकृत बाल विकास)। सी. एम. हेल्प लाइन में उक्त विषय में जिले की कुल शिकायतें, 100 थीं वर्तमान में 07 शेष बची हैं । स्पेशल क्लोज्ड, आंशिक बंद शिकायतों को रिव्यू करने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास को दिये गये ।

छः–अनुसूचित जाति कल्याण विभागः– अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित विषय शिष्यवृत्ति/छात्रवृत्ति प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना/निर्धारित दर से प्राप्त न होने से संबंधित है । सी. एम. हेल्प लाइन में उक्त विषय में जिले की कुल शिकायतें, संतुष्टि पूर्वक बंद, स्पेशल क्लोज्ड, आंशिक बंद तथा शेष लंबित शिकायतों का निराकरण एवं स्पेशल क्लोज्ड, आंशिक बंद शिकायतो को रिव्यू करने के निर्देश प्रभारी सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं सहायक आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण को दिये गये । अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित करने की ताकीद करते हुए कहा कि पात्र होने के बावजूद छात्रवृत्ति नहीं दिये जाने पर संबंधित विभाग को जिम्मेदार माना जायेगा ।

सात–सभी विभागः– सभी विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित विषय सभी जिलों/विभागों में 500 दिवस से अधिक लंबित एवं आंशिक रूप से बंद शिकायतों की स्थिति से संबंधित है । शिकायतो को रिव्यू करने तथा के निर्देश सभी विभाग के जिला प्रमुख अधिकारियों को दिये गये ।

2. **सी.एम.हेल्प लाईन** :– नगर निगम, पंचायती राज, डीन मेडिकल कॉलेज, ऊर्जा लोक शिक्षण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सामाजिक न्याय, आदिम जाति कल्याण मनरेगा, राजस्व, कौशल विकास, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, स्वच्छ भारत, कृषि, खाद्य, स्वास्थ्य, आबकारी, उच्च शिक्षा, श्रम विभाग, की शिकायतें समीक्षा के दौरान अधिक पायी गयी । सभी को निर्देश दिये गये कि पोर्टल पर समाधान कारक एण्ट्री की जाकर निराकरण कराया जाये।

3. **जनसुनवाई** :– प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में प्राप्त शिकायते सी.एम. हेल्पलाईन से लिंक हो गई है। **पूर्व बैठक में निर्देश दिये गये थे कि जिला लोक सेवा प्रबंधक सभी विभागों में की जाने वाली जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों की मॉनिटिरिंग करते हुये सी.एम. हेल्पलाईन में दर्ज कराये।**

4. **जल प्रबंधन** :– वर्तमान में अल्प वर्षा के कारण जल संकट की स्थिति बन रही है । ऐसी स्थिति में नहरों का रखरखाव एवं नहरों के अंतिम छोर तक पानी की उपलब्धता होना आवश्यक है ताकि पेय जल एवं कृषि सिंचाई हेतु पानी की पूर्ति समुचित रूप से हो सके।

5. **ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल** :– ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा चौपाल लगाये जायें, जिसमें नामांतरण, बंटवारा, फौती के लंबित मामले निपटाये जायें । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिये गये कि सभी विभागों के अधिकारियों को चौपाल की सूचना दी जाये तथा सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये । मैदानी स्तर के अधिकारी यदि अनुपस्थित रहते हैं तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ।

6. **राहत प्लान** :– वर्तमान अल्प वर्षा की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित विभाग अपना एक राहत प्लान तैयार करें । जिले में सूखे के संबंध में अपने विभाग के कार्य क्षेत्रांतर्गत कार्ययोजना तैयार करने सर्वसंबंधित विभागीय अधिकारीयों को अपर कलेक्टर द्वारा पत्र जारी किया गया है । प्राप्त जानकारी अनुसार जिले की कार्य योजना तैयार कर शासन को भेजी जाना है ।

7. **रेवेन्यू कोर्ट** :– 27.09.2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक ले रहे है। जिसमें जबलपुर संभाग आयुक्त जायेंगे । आर. सी. एम. एस. व्यवस्था को सुचारू रखा जाये ।

8. **राजस्व वसूली** :– पूर्व बैठक में निर्देश दिये गये थे जबलपुर जिले की राजस्व वसूली में 35 वी रैंक आयी है ? वर्तमान में जिला वसूली के लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है।

वसूली की स्थिति की जानकारी सभी एस. डी. एम. से ली गई। सभी को डिमांड बढ़ाने तथा अधिक से अधिक वसूली करने के कड़े निर्देश दिये गये।

9. **पावर सप्लाई** :– पावर सप्लाई की समस्याएं सामने आ रही है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या है । जिसके प्रभावी रूप से निराकरण के निर्देश अधीक्षण यंत्री ग्रामीण को दिये गये ।
10. **स्वाइन फ्लू व अन्य बीमारियों की रोकथाम** :– **स्वाइन फ्लू , डेंगू** मलेरिया, चिकिनगुनिया आदि के रोकथाम की कारगर कार्यवाही की जाये । ग्राम स्तर पर डॉ. उपलब्ध रहें ऐसे निर्देश जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिये गये ।
11. **नवरात्री उत्सव की तैयारी** :– **बिजली, पानी, साफ–सफाई** की व्यापक तैयारी के निर्देश सर्व संबंधितों को दिये गये । गत वर्ष लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत अच्छी थी । गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी अच्छी व्यवस्था बनायी जाये ।

जनप्रतिनिधियों, कमिश्नर कार्यालय, लोकायुक्त तथा आर्थिक अपराध ब्यूरो, मानव अधिकार आयोग, हाईकोर्ट के प्रकरण तथा अन्य विभागों की शिकायतों एवं समय सीमा के प्रश्नों की विभागवार समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए कि ऐसी शिकायतों पर गंभीरता दिखाई जाकर त्वरित निराकरण किया जाये।

उक्त निर्देशें के साथ मीटिंग सधन्यवाद समाप्त की गई।

कलेक्टर
जबलपुर

पृ.क्र./7178/अधीक्षक/टी.एल/2017 जबलपुर दिनांक 19 सितम्बर 2017.

प्रतिलिपि :–

7. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर।
8. जिले के समस्त विभाग प्रमुख को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जबलपुर